

ओपीओ सिंह

आईओपीओएसओ



पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: जून 23, 2018

विषय:- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, उओप्रओ से वैज्ञानिक परीक्षण के संबंध में नमूना संकलित करने एवं उसके परिप्रेक्ष्य में पृच्छा किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश

प्रिय महोदय

आप सभी लोग इस बात से भली-भाँति अवगत हैं कि अपराधों की विवेचना में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का समावेश किया जाना आवश्यक हो गया है। मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा वैज्ञानिक परीक्षण से प्राप्ता निष्कर्ष की विश्वनीयता अधिक होती है। माओ न्यायालय अनेक मामलों में विशेषज्ञ वैज्ञानिक परीक्षण राय को अत्यन्त विश्वसनीय मानते हुए उसके आधार पर अपना अन्तिम निष्कर्ष अवधारित करते हुए निर्णय पारित करते हैं।


2. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा अवगत कराया गया है कि वैज्ञानिक परीक्षण हेतु नमूना संकलित करने वाले अधिकारी द्वारा नमूना संकलित करने में अनेक असावधानियाँ बरती जाती हैं, जिसके कारण परीक्षण का सही परिणाम नहीं निकल पाता है, साथ ही विवेचनाधिकारी द्वारा प्रेषित नमूने के साथ भेजी जानी वाली पृच्छा भी अस्पष्ट एवं असंगत होती है, जिसके कारण उचित राय कायम करने एवं विवेचक को अपेक्षित परिणाम से अवगत कराया जाना सम्भव नहीं होता है।

3. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, उओप्रओ द्वारा प्रदर्शो(नमूनों) के परीक्षण हेतु संकलन एवं संग्रहण (Collection and Preservation) के परिप्रेक्ष्य में, क्या करें/क्या न करें, के संबंध में निम्नलिखित सावधानियाँ एवं दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया है:-

- **भौतिक अनुभाग:-**फुट प्रिन्ट, शू-प्रिन्ट, कॉच के टुकड़े, चूड़ियों, हिट एण्ड रन केशों में वाहनो पर परस्पर ट्रान्सफर हुआ पेन्ट, बटन व धागे, वायर मशीन, कपड़ों पर कट मार्क्स परीक्षण/मैचिंग, नकली उत्पान एवं बिल्डिंग मैटेरियल आदि के नमूने संकलित करने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट-1)
- **रसायन अनुभाग:-**एनओडीओपीओएसओ से संबंधित नशीलें पदार्थों के नमूने, ठोस पदार्थों के नमूने लेने, सँदिग्ध शराब के नमूने, बर्निंग के नमूने, पेट्रोलियम पदार्थों के परीक्षण हेतु लिये जाने वाले नमूने आदि (परिशिष्ट-2)
- **विष अनुभाग:-**विसरा टिशू, रक्त का नमूना, हार्ट, लंग्स एवं ब्रेन, यूरिन, विसरा तथा स्टमक एण्ड कन्टेन्टस आदि के नमूने लेने हेतु (परिशिष्ट-3)
- **बायो अनुभाग:-**रक्त, वीर्य, ऊतक, बाल, Diaton नमूना लेने आदि (परिशिष्ट-4)
- **डीओएनओएओ अनुभाग:-**नमूना रक्त, स्मियर स्लाइड, टिशु एवं फीट्स, कपड़े, हड्डियों आदि के नमूने लेने हेतु (परिशिष्ट-5)

- सीरो अनुभाग:—खूनालूद मिट्टी, कपड़ों इत्यादि, फर्श, पत्थर इत्यादि पर पड़े रक्त अथवा गाज को, वस्तु पर लगे रक्त, घटना में प्रयुक्त हथियार पर लगे रक्त आदि के नमूने लेने हेतु (परिशिष्ट-6)
- डी०एन०ए० परीक्षण हेतु सम्पलिंग किये जाने वाले आवश्यक प्रदर्शों की सूची:—पैतृक विवाद, लैंगिक अपराध, पहचान निर्धारण एवं हत्या आदि के मामलों में लिए जाने वाले जैविक प्रदर्शों के नमूने (परिशिष्ट-7)
- आग्नेयास्त्र अनुभाग:—घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्रों से संबंधित प्रदर्शों का संकलन एवं संरक्षण (परिशिष्ट-8)
- कम्प्यूटर फारेंसिक अनुभाग:—घटना से संबंधित प्रदर्शों का संकलन एवं संरक्षण (परिशिष्ट-9)

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वैज्ञानिक परीक्षण हेतु संकलित किये जाने वाले नमूनों/प्रदर्शों के संकलन एवं संग्रहण (Collection and Preservation) के संबंध में संलग्न परिशिष्ट में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही तथा उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सुसंगत पृच्छा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

भवदीय,

 23.6.18
 (ओपी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
 प्रभारी जनपद,
 उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र० ।

भौतिकी अनुभाग

प्रदर्शों के संकलन एवं प्रिजर्वेशन करने के लिए सुझाव निम्नवत् है:-

क्रमांक	प्रदर्शों की प्रकृति	क्या करें	क्या न करें
1	फुटप्रिन्ट, शू-प्रिन्ट आदि	POP से कास्ट बनाने के उपरान्त उचित तरीके से सुखाकर गत्ते के डिब्बे/ लकड़ी की पेटी में रखने से पूर्व कॉटन/ पुआल/ पेपर की कतरन में लपेट कर सुरक्षित रखकर सील करें।	POP से बनी कास्ट को सीधे कपड़े में सील न करें।
2	कॉच के टुकड़े, चूड़ियों	इनको कॉटन/पेपर में रखकर किसी डिब्बे में Fix कर सील कर भेजना चाहिए।	सीधे कपड़े में सील न करें।
3	हित एण्ड रन केशों में वाहनों पर परस्पर ट्रान्सफर हुआ पेन्ट	वाहनों पर ट्रान्सफर हुए पेन्ट वाले स्थान/पार्ट को खोलकर/काटकर पेपर में रखकर सुरक्षित करके भेजे।	पेन्ट को खुरचें नहीं।
4	बटन व धाँगे	कागज में रखकर डिब्बी में सील करें।	सीधे कपड़े में रखकर सील न करें।
5	Wire matching	विवेचक द्वारा बतौर नमूना काटे गये तारों के सिरों को चिन्हित कर देना चाहिए।	
6	कपड़ों पर कट मार्क्स परीक्षण/ मैचिंग	रक्त रंजित कपड़ों को सुखाकर भेजे	गीले कपड़े न भेजे।
7	नकली उत्पाद	विवादित उत्पाद में एक नमूना के साथ उसी तरह का एक असली नमूना भेजे।	पूरी दुकान/ अधिक संख्या में न भेजे।
8	बिल्डिंग मैटेरियल	विवादित सीमेन्ट पदार्थ एवं नमूना असली सीमेन्ट पदार्थ के 3-4 किग्रा मात्रा अलग-अलग पॉली पैक में / प्लास्टिक डिब्बे में रखकर सील कर भेजे।	सीधे कपड़े में सील न करें, नमी से खराब हो सकती है।

रसायन अनुभाग

प्रदर्शों के संकलन एवं प्रिजर्वेशन करने के लिए सुझाव निम्नवत् है:-

क्रमांक	क्या करें	क्या न करे
1	<p>एन0डी0पी0एस0 से संबंधित मामलों में</p> <p>1. यदि नशीला पाउडर ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ है तो उसे समान रूप (Homogeneous) से मिलाकर उसके बाद नमूना परीक्षण हेतु भेजना चाहिए ।</p> <p>2. भोंग, गोंजा, चरस, अफीम एवं पोस्ता इत्यादि प्रदर्शों में परीक्षण हेतु 24 ग्राम ही भेजा जाना चाहिए। इसी प्रकार स्मैक, मार्फिन/नशीला पाउडर से संबंधित प्रदर्शों का 5 ग्राम ही परीक्षण हेतु भेजा जाये ।</p>	<p>1. किसी एक स्थान से नमूना लेकर नहीं भेजना चाहिए ।</p> <p>2. सम्पूर्ण प्रदर्श को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में न भेजा जाये ।</p>
2	यदि कोई ठोस पदार्थ हो तो उसका नमूना अलग-अलग भागों से नमूना लेकर भेजना चाहिए ।	किसी एक भाग से नमूना लेकर नहीं भेजना चाहिए ।
3	संदिग्ध शराब के मामलों में यदि काफी मात्रा में शीशियों बरामद होती है तो प्रत्येक बैच की एक शीशी ही नमूने हेतु भेजनी चाहिए ।	सभी शीशियों भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
4	बार्निंग के अभियोग में घटना स्थल से प्राप्त जले अधजले कपड़ों आदि को अलग-अलग नमूना बनाकर भेजना चाहिए	बार्निंग के मामलों में एक ही बण्डल में mix करके नहीं भेजना चाहिए ।
5	पेट्रोलियम पदार्थों के नमूना परीक्षण हेतु भेजने के लिए एल्युमीनियम के कन्टेनर में लेकर wooden box में सील कर भेजना चाहिए ।	पेट्रोलियम पदार्थों के नमूना परीक्षण हेतु प्लास्टिक कन्टेनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

विष अनुभाग

विसरा सम्बन्धी प्रदर्शों के संकलन, संरक्षण एव सावधानियों

क्रमांक	प्रदर्शों का प्रकार	क्या करें	क्या न करे
1	विसरा टिशू-स्टमक एण्ड कन्टेन्टस ऑत का टुकड़ा , लिवर का टुकड़ा पित्ताशय सहित किडनी के टुकड़े स्पलीन	सभी नमूने अलग-अलग प्लास्टिक वायल में सेचूरेटेड स्लाइन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके प्रयोगशाला में प्रेषित करें । Vial-Diameter 2.5 3.0 cm and Lenth - 12.0 cm	फार्मलीन में प्रिजर्व न करें ।
2	एकत्र का नमूना	सभी रक्त नमूने इडीटीए वायल में एकत्र किया जाये ।	Plain(साधारण)वायल में न भेजे ।
3	हार्ट, लंग्स एवं ब्रेन आदि नमूनों का परीक्षण	फार्मलीन में संग्रहित इन विसरा नमूनों को मेडिकल कालेज के हिस्टो पैथालोजीकल डिपार्टमेन्ट को प्रेषित करें ।	विधि विज्ञान प्रयोगशाला उOप्रO में हिस्टो पैथालोजीकल परीक्षण नहीं किया जाता है।
4	यूरिन (मूत्र)	वायल में ही संग्रहित ।	डिब्बा एव जार में संग्रहित कर न भेजे ।
5	विसरा यथा स्टमक एण्ड कन्टेन्टस ऑत का टुकड़ा , लिवर का टुकड़ा पित्ताशय सहित किडनी के टुकड़े स्पलीन टिशू, रक्त, मूत्र, गैस्टिक लवेज, स्टमक वाश एव उल्टी	रसायन विष के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को प्रेषित करें ।	इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं न भेजे ।

बायो अनुभाग

क्रमांक	क्या नहीं किया जाना चाहिए	क्या किया जाना चाहिए
1	रक्त (Blood) रक्त रंजित कपड़ों को बिना रक्त सुखाये तथा एक से अधिक कपड़ों को एक साथ पैक नहीं करना चाहिए। बिना फोटों ग्राफ़ी के रक्त धब्बों का संकलन नहीं करना चाहिए।	- रक्त लगे प्रदर्शों को काट कर हवा में सुखा कर पैक करना चाहिए। पदार्थ के आकार के अनुसार कागज में लपेटकर प्लास्टिक बैग में पैक करे। - घटनास्थल पर रक्त के धब्बों की फोटो-ग्राफ़ी करना चाहिए।
2	वीर्य (Semen) वीर्य के धब्बों को सुखाने हेतु इलेक्ट्रिक हीटर, हेयर ड्रायर का उपयोग नहीं करना चाहिए।	- कपड़ों पर लगे वीर्य के धब्बों का सीधे सूर्य के प्रकाश में सुखाकर, साफ कागज में सुखाकर कमरे में ताप प्रयोगशाला भेजना चाहिए। - स्लाइड स्वाब में किसी प्रकार का टोन या डाई का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। - वीर्य के धब्बों के संरक्षण हेत किसी प्रकार के तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3	ऊतक (Tissue) ऊतक नमूनों को संकलन वसा की मात्रा अधिक वाले अंगों से नहीं करना चाहिए।	ऊतक नमूना 50-100 ग्राम रोगाणु रहित कैंची से काटकर सामान्य नकम के घोल में रोगाणु रहित बायो में एयर टाइट ढक्कन लगाना चाहिए।
4	बाल (Hair) घटनास्थल पर उपलब्ध बाल को नमूना तौर संकलित बालों को एक साथ संरक्षित नहीं करना चाहिए।	घटना स्थल पर प्राप्त बाल तथा अभियुक्त/पीड़ित से प्राप्त बालों को मिलान हेतु अलग-अलग पॉलिथीन पैकेटों में सील करके भेजना चाहिए।
5	Diatom घटनास्थल(जलस्रोत) से अन्यत्र का जल नमूना तथा फिमर/ टिबिया के अतिरिक्त अन्य अस्थियों जोंच हेतु नहीं भेजना चाहिए।	- टिबिया/फीमर हड्डिया के 15 के टुकड़े तथा विसैरल ऑर्गन के टुकड़े सील बन्द प्लास्टिक डिब्बों में भेजा जाना चाहिए। - घटना स्थल का जलस्रोत एक प्लास्टिक बोलत में सर्वमोहर करके भेजना चाहिए।
6	नमूना मोहर भेजे गये पदार्थों की नमूना मोहर स्पष्ट, टूटी हुई तथा अप्रमाणित नहीं होनी चाहिए।	प्रदर्श पूर्णरूप से सील्ड व राजपत्रित अधिकारी की मोहर से प्रमाणित करके भेजा जाना चाहिए।

डी0एन0ए0 अनुभाग

डी0एन0ए0 संबंधी प्रदर्शों के एकत्रण एवं संकलन हेतु सावधानियों

क्रमांक	प्रदर्शों का प्रकार	क्या करें	क्या न करे
1	नमूना रक्त	सभी रक्त नमूने ईडीटीए वायल में मेडिकल आफिसर द्वारा चार डिग्री सेंमी पर एकत्र किये जाये । अभियुक्त से संबंधित कन्ट्रोल सैम्पल हेतु केवल रक्त नमूना ही संकलित करे ।	साधारण वायल में टम्परेचर पर एकत्रण न करे । अभियुक्त से संबंधित कन्ट्रोल सैम्पल हेतु नाखून की कतरन, प्यूविक हेयर आदि न एकत्र करे ।
2	स्मियर स्लाइड	बिना स्टेन किये एकत्र करे ।	स्टेन कदापि न करे ।
3	टिशू एव फीटस आदि	नार्मल स्लाइन में एकत्र करें ।	फार्मलीन में कदापि एकत्र न करे ।
4	कपड़े	स्टेन लगे कपड़े साए में सुखाये एवं पेपर या कपड़े में एकत्र करें ।	पोलिथीन बैग का उपयोग कदापि न करें ।
5	हड्डियों	साए में सुखाये तथा कागज में लपेटकर कपड़े में एकत्र करे । फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रिब्स, मोलर टीथ भेजे ।	पोलिथीन बैग का उपयोग कदापि न करें । जली हड्डी व राख न भेजे ।

सीरो अनुभाग

प्रदर्शों के संकलन एवं प्रिजर्वेशन करने के लिए सुझाव निम्नवत् है

क्रमांक	क्या नहीं किया जाना चाहिए	क्या किया जाना चाहिए
1	खूनालूद मिट्टी कपड़ों इत्यादि को छाया में अथवा हवा में सुखाने के उपरान्त ही पैक व सील करें ।	खूनालूद, मिट्टी, कपड़े को गीली दश में एकत्र कर सील न करें ।
2	फर्श, पत्थर इत्यादि पर पड़े तरल रक्त को Sterilised cotton को अथवा गाज में अवशोषित कर सुखा कर काटन/गाज का सादा टुकड़ा पैक व सील कर भेजें ।	फर्श, पत्थर इत्यादि पर पड़े तरल रक्त को उसी अवस्था में लेकर पैक व सील न करें ।
3	वस्तु पर लगे रक्त को खुरच कर अथवा कॉटन या गाज में स्वाब बनाकर भेजें । साथ ही उसी काटन/गाज को सादा टुकड़ा भी भेजे ।	आलमारी, सोफा व अन्य ऐसी वस्तुएँ जिन पर रक्त पड़ कर सुख गया हो वे सम्पूर्ण वस्तु जॉच हेत न भेजे ।
4	हथियार जैसे चाकू, बॉका, फर्सा कल्हड़ी पर लगे रक्त को सुखने के उपरान्त उस पर Sterilised cotton लपेट कर धागों से बंधकर सुरक्षित कर दें ।	हथियार जैसे चाकू, बॉका, फर्सा कुल्हाड़ी पर लगे रक्त को गीली दशा में पैक सील न करें ।
5	घटनास्थल की फोटोग्राफी कराने के उपरान्त ही रक्तरंजित नमूने एकत्र किये जाये ।	घटनास्थल की फोटोग्राफी कराने के पूर्व रक्त रंजित नमूने संकलित न करें ।
6	पैकिंग व सीलिंग कागज के इन्वैलप में करें ।	पैकिंग व सीलिंग एयरटाई Airtight पालीथीन में न करें ।

डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु सैम्पलिंग किये जाने वाले आवश्यक प्रदर्शों की सूची

क्रमांक	अपराध का प्रकार	जैविक प्रदर्शों का प्रकार
1	पैतृक विवाद	संभावित माता, पिता व संतान से रक्त 02-05 मिली ई0डी0टी0ए0 (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid) वायल में उचित तापक्रम पर (लगभग 4 सेंटीग्रेट पर)
2	लैंगिक अपराध (Sexual Offences)	(1) पीड़िता से रक्त 02-05 मिली ई0 डी0टी0ए0 वायल में अन्तर्वस्त्र, विकिर्तीय पराभरण के दौरान लिये गये स्वाब व अरंजित (Unstained) स्लाइड आदि । (2) अभियुक्त से रक्त 02-05 मिली ई0डी0टी0ए0 वायल में (लगभग 4 सेंटीग्रेट पर) (3) घटनास्थल से रक्त/वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े व अन्य जैविक प्रदर्श ।
3	पहचान निर्धारण (Body Identification)	(1) हड्डी एवं कंकाल-फीमर/ह्यूमरस/टीबिया/रिब्स/मोलर दंत(प्राथमिता पर इनमें से कोई दो हड्डिया) (2) अज्ञात मृतक-ऊतक (Tissues) 50 ग्राम से 100 ग्राम नार्मल सैलाइन में । (3) हृदय से प्राप्त रक्त ई0डी0टी0ए0 वायल में अथवा रक्त स्वाब । (4) पहचान निर्धारण हेतु संभावित माता व पिता या पत्नी व बच्चा, पति से रक्त 02-05 मिली0 ई0डी0टी0ए0 (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid) वायल में उचित तापक्रम पर (लगभग 4 सेंटीग्रेट पर)
4	हत्या	(1) घटनास्थल से रक्त के धब्बे युक्त प्रदर्श, बाल लार अन्य जैविक प्रदर्श । (2) मृतक/मृतका से- हृदय से प्राप्त रक्त (ई0डी0टी0ए0 वायल में) या रक्त स्वाब । (3) अभियुक्त से- घटना के समय पहने रक्त रंजित कपड़े (यदि उपलब्ध है) (4) आला कत्ल रक्त रंजित ।

नोट:-उपरोक्त में से किसी भी प्रदर्श को फॉर्मलीन(Formalin) में संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए ।

आग्नेयास्त्र अनुभाग

प्रदर्शों का संकलन एवं संरक्षण

क्रमांक	क्या नहीं करना चाहिए	क्या करना चाहिए
1	किसी भी आग्नेयास्त्र एवं खोखा कारतूस को बिना सील्ड किये हुए नहीं रखना चाहिए तथा आग्नेयास्त्र की नाल में जिन्दा/ भरा कारतूस नहीं रखना चाहिए ।	किसी भी आग्नेयास्त्र एवं खोखा कारतूस को कपड़े में समुचित प्रकार से सील्ड करके रखना चाहिए तथा आग्नेयास्त्र की नाल में जिन्दा/ भरा कारतूस रहे हो तो उन्हें नाल से बाहर निकालकर आग्नेयास्त्र के साथ सील्ड करके रखना चाहिए ।
2	घटनास्थल अथवा पी0एम0 से बुलेट गन-शॉट एवं वाड आदि प्राप्त हो तो उन्हें सीधे हाथ से नहीं उठाना चाहिए एवं बिना सील्ड नहीं रखना चाहिए ।	घटनास्थल अथवा पी0एम0 से बुलेट गन-शॉट एवं वाड आदि प्राप्त हो तो उन्हें हाथों में दस्ताने(ग्लव्स) धारण करके ही संकलित करना चाहिए एवं किसी साफ पालीथीन पन्नी आदि में रखकर कपड़े में सील्ड करके रखना चाहिए ।
3	किसी आग्नेयास्त्र की नाल से एवं खोखा कारतूस से तथा मृतक/ अभियुक्त के हाथों के धोवन/स्वैब को सीधे हाथ से नहीं लेना चाहिए एवं गन्दी/पुरानी काटन(रूई) तथा पुराना एसिटिक एसिड/ अशुद्ध पानी का स्वैब लेने हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिए । बिना कन्ट्रोल सैम्पुल के स्वैब का परीक्षण नहीं कराना चाहिए ।	किसी आग्नेयास्त्र की नाल से एवं खोखा कारतूस से तथा मृतक/ अभियुक्त के हाथों के धोवन/स्वैब को सदैव हाथों में दस्ताने(ग्लव्स) धारण करके शुद्ध काटन से ही संकलित करना चाहिए/ स्वैब संकलित करने हेतु सदैव शुद्ध एसिटिक एसिड/ शुद्ध पानी (Distilled water)का प्रयोग करना चाहिए । जिस काटन कन्ट्रोल सैम्पुल के रूप में परीक्षण हेतु रखना चाहिए ।
4	मृतक या मजसूब से संबंधित कपड़ों को कभी भी गीली अवस्था में संकलित करके नहीं रखना चाहिए ।	मृतक या मजसूब से संबंधित कपड़ों को सदैव छायादार एवं हवादार वातावरण में सुखा कर किसी स्वच्छ पेपर में रखकर साफ सुथरे कपड़ों में सील्ड करके रखना चाहिए ।
5	संकलित किये गये प्रदर्शों की नमूना मुहर अस्पष्ट/ अपठनीय एवं अमान्य नहीं होनी चाहिए तथा प्रदर्शों को धाँगाबंधित/ टेप-युक्त प्लास्टिक के डिब्बे में सील्ड नहीं करना चाहिए ।	संकलित किये गये प्रदर्शों की नमूना मुहर स्पष्ट/ पठनीय एवं विभागीय मान्य मुद्रा से मुद्रित होनी चाहिए साथ ही राजपत्रित अधिकारी/चिकित्सक द्वारा प्रमाणित स्पष्ट/पठनीय नमूना मुहर संलग्न करना चाहिए । प्रदर्शों को यदि प्लास्टिक के डिब्बे को कपड़े में रखकर समुचित प्रकार से सील्ड करना चाहिए ।

कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग

प्रदर्शा संकलन का संरक्षण

क्या किया जाना चाहिए	क्या नहीं किया जाना चाहिए
<p>(1) हार्डिडिस्क कम्प्यूटर/लैपटॉप से प्राप्त हुई हार्डिडिस्क को बण्डल/ पालीथीन लपेटकर थर्माकोल के साथ किसी डिब्बा पैकिंग में रखकर एवं सील कर प्रयोगशाला में भेजना चाहिए ।</p>	<p>खुली हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए, गर्म जगह व नमी वाले क्षेत्र मैग्नेटिक क्षेत्र से दूर रखना चाहिए ।</p>
<p>(2) मोबाइल मोबाइल प्राप्त होने पर उसे करके या संभव हो तो बैटरी निकालकर तथा पालीथीन में लपेटकर थर्माकोल के साथ किसी डिब्बा पैकिंग में रखकर एवं सील कर प्रयोगशाला में भेजना चाहिए । मोबाइल यदि लॉक अवस्था में हो तो संभव हो सके तो अनलॉक अवस्था में तथा पालीथीन में लपेटकर थर्माकोल के साथ किसी डिब्बा पैकिंग में रखकर एवं सील कर प्रयोगशाला में भेजना चाहिए ।</p>	<p>मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, मोबाइल चालू अवस्था में नहीं रखना चाहिए, गर्म जगह व नमी वाले क्षेत्र मैग्नेटिक क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, मोबाइल को सीधे कपड़े की पैकिंग कर उसे गर्म लाख से सील नहीं करना चाहिए ।</p>
<p>(3) सीडी/डीवीडी सीडी/ डीवीडी प्राप्त होने पर इसे सीडी केस में रखकर तथा उपरोक्त केस को प्लास्टिक बॉक्स में रखकर एवं सील कर भेजा जाना चाहिए ।</p>	<p>सीडी/डीवीडी को गर्म(Heat) जगह से दूर रखा जाना चाहिए, सीडी/डीवीडी को सीधे कपड़े की पैकिंग कर गर्म लाख से सील नहीं करना चाहिए इससे सीडी/ डीवीडी खराब हो सकती है ।</p>
<p>(4) मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव को पालीथीन में लपेटकर किसी डिब्बा पैकिंग में रखकर प्रयोगशाला भेजना चाहिए ।</p>	<p>मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव के गर्म एवं मैग्नेटिक क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव के पोर्ट को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए ।</p>
<p>(5) DVR को उसके प्लेयर के साथ तथा आनलॉक अवस्था में उपरोक्त बिन्दु-1 के अनुसार पैकिंग व सील की प्रक्रिया कर प्रयोगशाला में भेजना चाहिए ।</p>	<p>DVR में लगी हार्डिडिस्क को निकालकर प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नहीं भेजना चाहिए ।</p>
<p>(6) यदि DVR को प्रयोगशाला में भेजना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो उसे एस अवस्था में DVR के डाटा को किसी अन्य मीडिया जैसे हार्डिडिस्क/ पेन ड्राइव/डीवीडी में DVR के Software माध्यम से डाटा को ट्रान्सफर कर तथा मीडिया को बिन्दु-1 के अनुसार प्रक्रिया करना नहीं चाहिए ।</p>	

<p>6 संकलित प्रदर्शों को बिना कपड़े में सील्ड किये हुए एवं उसके ऊपर बिना संबंधित अभियोग का विवरण अंकित किये हुए नहीं रखना चाहिए।</p>	<p>संकलित प्रदर्शों को संबंधित प्रपत्रों से मिलान करके कपड़े में समुचित प्रकार से सील्ड करके उसके ऊपर संबंधित अभियोग का विवरण यथा मु0अ0सं0 धारा, थाना, जनपद बनाम मृतक/ मजसूब का नाम, पी0एम0 नम्बर आदि अंकित करके रखना चाहिए।</p>
<p>7 सील्ड प्रदर्शों के साथ अग्रेषण पत्र एवं नमूना मुहरों को बिना संबंधित अभियोग का विवरण अंकित किये हुए एवं बिना राजपत्रित अधिकारी/ चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कराये हुए तथा बिना फर्द बरामदगी, एफ0 आइ0 आर0 पी0एम0आर0/ इंजरी रिपोर्ट संलग्न किये हुए परीक्षण के लिए नहीं भेजना चाहिए।</p>	<p>सील्ड प्रदर्शों के साथ अग्रेषण पत्र एवं नमूना मुहरों को संबंधित अभियोग का विवरण अंकित करके एवं राजपत्रित अधिकारी/ चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कराकर तथा फर्द बरामदगी, एफ0आइ0आर0 पी0एम0आर0/ इंजरी रिपोर्ट संलग्न करके परीक्षण हेतु भेजना चाहिए। घटनास्थल निरीक्षण/ पुनसंरचना के केस में उपरोक्त के अतिरिक्त नक्शानजरी भी भेजना आवश्यक है।</p>